न्यायालय सब जज–तृतीय, डुमरॉव, जिला–बक्सर।

विविध वाद–24 / 2026

बिहारी लाल गोस्वामी – आवेदक

बनाम्

रामलाल गोस्वामी वगैरह – विपक्षीगण

आदेश

06.06.2026

आवेदक की पैरवी है। प्रस्तुत विविध वाद सं0–24 / 2026 मूल स्वत्व वाद सं0–243 / 2022 को पुनर्जीवित करने हेतु दाखिल किया गया है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवकता न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। वाद सुनवाई के दौरान विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि मूल स्वत्व वाद सं0–243 / 2022 जो दिनांक–12.12.2024 को खारिज हो गया है जिसको पुनर्जीवित करने के संबंध में आवेदक द्वारा विविध वाद संख्या–24 / 2026 दाखिल किया गया है। वादी द्वारा मूल स्वत्व वाद सं0–243 सन् 2022 दाखिल किया गया था। सन् 2024 और प्रारंभिक 2025 में स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट होने के कारण न्यायालय में उपस्थित होने या अपने अधिवक्ता से ठीक से संवाद करने से पूरी तरह अक्षम कर दिया। आवेदक नई दिल्ली में चिकित्सा उपचार तक सीमित थे और दिनांक–12.12.2024 को खारिज होने तक डुमरांव यात्रा करने में शारीरिक रूप से असमर्थ थे। तत्कालीन वकील श्री रामानंद मिश्रा की सकल लापरवाही और पेशेवर कर्त्तव्य का उल्लंघन, जिन्होंने आवेदक को सूचित नहीं किया, कोर्ट आदेशों का पालन नहीं किया और खारिज तारीख पर उपस्थित नहीं हुए। आवेदक जान बूझकर ऐसा नहीं किया बल्कि वास्तविक चिकित्सकीय आपात स्थितियों के संयोजन के कारण थी जो आवेदक को यात्रा करने में शारीरिक रूप से असमर्थ बनाती थी तथा तत्कालीन वकील की लापरवाही जो उनके पेशेवर कर्त्तव्य में विफल रही। आवेदक उत्तसाहपूर्व पैरवी करने तथा कोर्ट के आदेशों का पालने करने और निर्देशित कोर्ट फीस जमा करने को तैयार है। वर्तमान आवेदन सीमा के भीतर दाखिल किया गया है क्योंकि स्वत्व वाद सं0–243 सन् 2022 की खारिजी की जानकारी आवेदक को दिनांक–07.03.2026 को हुई। अतः निवेदन है कि दिनांक–12.12.2024 के आदेश को रद्द करते हुए आवेदक का मूल नंबरी वाद संख्या–243 सन् 2022 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक द्वारा दाखिल विविध वाद सं0–24/2026 मूल स्वत्व वाद संख्या–243/2022 को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना किया गया है। आवेदक के मूल स्वत्व वाद संख्या–243/2022 जो दिनांक–12.12.2024 को न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। आवेदक ने अपने मुकदमा में जिस परिस्थितियों को दर्शाया है जिसके कारण मुकदमा खारिज हुआ है उस समय आवेदक का तबियत खराब थी। आवेदक के द्वारा मूल स्वत्व वाद को पुनर्जीवित करने हेतु विविध वाद दाखिल किया गया है जो समय–सीमा के अन्दर है। वाद का सही न्याय निर्णयन हेतु मूल स्वत्व वाद संख्या–243/2022 को पुनर्जीवित करना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए समय तथा व्यय को दृष्टिगत रखते हुए विविध वाद संख्या–24/2026 को न्यायहित में मो0 5000/–(पॉच हजार) रूपये खर्चा के साथ मूल स्वत्व वाद संख्या–243/2022 को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया जाता है।

वाद दिनांक–.....वास्ते अग्रिम कार्यवाही ।

''लेखापित''

सब जज–तृतीय